बिहार सरकार,
कृषि विभाग।

पत्र संख्या– पी०पी०एम०–18/2017– 2406 /कृ0,पटना, दिनांक 12/6/,2017

प्रेषक,

सुधीर कुमार
प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

(+) अनौपचारिक रुप से परामर्शित। द्वारा : **वित्त विभाग, बिहार, पटना। (+)**

विषय : **बिहार बागवानी विकास सोसाईटी को भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, ट्राम्बे, मुम्बई द्वारा विकसित तकनीक के माध्यम से लीची फल के shelf life को 60 दिनों तक बढ़ाने हेतु मो० 9,95,00,320.00 (नौ करोड़ पन्चानवे लाख तीन सौ बीस रूपये) मात्र के लागत व्यय पर वित्तीय वर्ष 2017–18 में लीची उत्पादक प्रमुख जिलों में Pilot Project के रूप में ''लीची सुरक्षा अभियान'' के क्रियान्वयन हेतु बिहार बागवानी विकास सोसाईटी को पूर्व के वर्षों में अन्तर्वर्ती फसल योजना एवं लीची के GAP कार्यक्रम हेतु स्वीकृत किन्तु अव्यवहृत राशि से व्यय की स्वीकृति**

आदेश – स्वीकृत।

बिहार बागवानी विकास सोसाईटी को भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, ट्राम्बे, मुम्बई द्वारा विकसित तकनीक के माध्यम से लीची फल के shelf life को 60 दिनों तक बढ़ाने हेतु मो० 9,95,00,320.00 (नौ करोड़ पन्चानवे लाख तीन सौ बीस रूपये) मात्र के लागत व्यय पर वित्तीय वर्ष 2017–18 में लीची उत्पादक प्रमुख जिलों में Pilot Project के रूप में **''लीची सुरक्षा अभियान''** के क्रियान्वयन हेतु बिहार बागवानी विकास सोसाईटी को पूर्व के वर्षों में अन्तर्वर्ती फसल योजना एवं लीची के GAP कार्यक्रम हेतु स्वीकृत किन्तु अव्यवहृत राशि से व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. राज्य में मुख्यतः मुजफ्फरपुर, वैशाली, पूर्वी चम्पारण, पश्चिमी चम्पारण, सीतामढ़ी, शिवहर, समस्तीपुर, भागलपुर, सारण, बेगुसराय, खगड़िया, दरभंगा, मधुबनी, पूर्णियाँ, सीवान, गोपालगंज एवं कटिहार जिलों में लीची का उत्पादन हो रहा है। राज्य में लीची का लगभग 32000 हे० में बाग है जिससे लगभग 2,50,000 MT लीची फल का उत्पादन होता है। बिहार राज्य में उत्पादित लीची की मांग देश के बड़े–बड़े शहरों सहित विदेशों में भी है, परन्तु इस फसल के Shelf Life बहुत कम रहने के कारण देश के बड़े शहरों एवं विदेशों में पहुँचते–पहुँचते फल के फली (Pericarp) पर भुरे रंग (Browning Effect) विकसित हो जाता है, जिससे वहाँ के उपभोक्ता इसे क्रय करना पसंद नहीं करते है। अतएव इस व्यवसाय में संलग्न किसानों एवं व्यवसायियों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है।

3. वर्तमान में लीची के Shelf Life को 60 दिनों तक बढ़ाने हेतु भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र (BARC), मुम्बई के Food Technology Division द्वारा नई तकनीक का विकास किया गया है, जिसके तहत 4 प्रकार के Fruit Preservatives, GRAS (Generally Recognized As Safe) Chemical का उपयोग कर लीची फल के pericarp colour को यथावत बनाये रखा जाता है तथा इस तकनीक से उपचारित लीची के गुणवत्ता में भी कोई ह्रास नहीं होता है। यह एक सामान्य तकनीक है जिसे किसान अपने बागानों में भी संचालित कर सकते हैं। इस तकनीक के इस्तेमाल पर 12 से 15 रूपये प्रति किलो का खर्च आता है, परन्तु संरक्षित फल को ऑफ सीजन में बिक्री करने पर इसका बाजार मूल्य 4–5 गुणा अधिक प्राप्त हो सकेगा। योजना का भौतिक आकार अनुसूची–1 एवं अनुसूची–2 संलग्न है।

4. **(क) सेवा शुल्क** :– कृषकों द्वारा सेवा शुल्क के रूप में 1.00 रूपये प्रति किलोग्राम लीची फल की दर से लीची उपचार केन्द्र संचालक को भुगतान करना अनिवार्य होगा।

(ख) लीची उपचार केन्द्र (शीतगृह प्रबंधन/कृषक उत्पाद संगठन (FPOs)/जीविका समूह/उद्यमी):– लीची उपचार केन्द्र की स्थापना हेतु आवश्यक सामग्रियों यथा– लीची रक्षक–1, लीची रक्षक–2, लीची रक्षक–3 (क) एवं (ख), प्लास्टिक टब, स्ट्रेनर, सिल्पॉलिन (Silpaulin) सीट, वाटर हीटर, LDPE पॉलीथीन बैग एवं थर्मामीटर का क्रय संबंधित सहायक निदेशक उद्यान द्वारा निर्दिष्ट विशिष्टताओं के अनुरूप

E:\ABHINAV\2017-18\Lichi Suraksha Abhiyan\sanlekh.docx

लीची उपचार केन्द्र (शीतगृह प्रबंधन/कृषक उत्पाद संगठन (FPOs)/ जीविका समूह/उद्यमी) द्वारा स्वयं किया जायेगा, जिसका ब्यौरा निम्नवत है :–

लीची उपचार हेतु अनावर्ती व्यय (Non-recurring expenditure) i.e. Fixed Items हेतु प्रति संरक्षण इकाई

क्र० सं०	विवरण	माप/आकार/ विशिष्टता	एक इकाई संरक्षण यूनिट के लिए (संख्या/मात्रा)	स्वीकृत इकाई लागत (रूपये में)	अनुमानित व्यय (रूपये में)
1	प्लास्टिक टब	125 लीटर (चौड़ा मुँह का)	3	1500.00	4500.00
2	स्ट्रेनर	20 किलोग्राम लीची फल क्षमता वाले जिसे आसानी से प्लास्टिक टब के अन्दर डुबोया जा सके।	6	250.00	1500.00
3	वाटर हीटर (Heating Coil)	ISI	1	450.00	450.00
4	थर्मामीटर	Digital (ISI)	1	275.00	275.00
5	सिल्पॉलिन (Silpaulin) चादर	12' x 10'	2	500.00	1000.00
6	हाइग्रोमीटर		1	575.00	575.00
7	विद्युत	30 दिनों के लिए	L.S.	2000.00	2000.00
	कुल				**10300.00**

लीची उपचार हेतु आवर्ती व्यय (Recurring expenditure) i.e.Running Items हेतु प्रति क्विंटल लीची फल

क्र० सं०	विवरण	माप/आकार/ विशिष्टता	प्रति क्विंटल लीची फल संरक्षण के लिए	स्वीकृत इकाई लागत (रूपये में)	अनुमानित व्यय (रूपये में)
1	हैंड होल्डिंग (Hand Holding)		प्रति क्विंटल लीची फल	484.00	484.00
2	लीची रक्षक–1, लीची रक्षक–2 एवं लीची रक्षक–3 (क) एवं (ख)	अनुशंसा के अनुसार		600.00	600.00
3	प्रोसेसिंग शुल्क		प्रति क्विंटल लीची फल	600.00	600.00
4	LDPE पॉली बैग	26" x 18" x 6"		100.00	100.00
5	शीतगृह में लीची 2 माह तक स्टोर करने का चार्ज			300.00	300.00
	कुल				**2084.00**

इस कार्यक्रम अन्तर्गत लीची फल को उपचारित करने पर प्रत्येक लीची उपचार केन्द्र संचालक को कुल लागत व्यय का अधिकतम 90 प्रतिशत अनुदान DBT के माध्यम से देय होगा।

(ग) शीतगृह :– इस कार्यक्रम अन्तर्गत लीची के उपचारित फल को शीतगृह में भण्डारण हेतु भण्डारण शुल्क (अधिकतम 300/– रूपये प्रति क्विंटल 60 दिनों के लिए) का 90 प्रतिशत अनुदान DBT के माध्यम से शीतगृह प्रबंधन को देय होगा। शेष 10% कृषकों द्वारा वहन किया जाएगा। इसी प्रकार Hygrometer के क्रय पर इसके इकाई लागत का 90% अनुदान भी शीतगृह मालिक को DBT के माध्यम से देय होगा।

योजना हेतु शीतगृहों के चयन की प्रक्रिया :– लीची उत्पादक जिलों के जिला बागवानी विकास समिति में जिला कृषि पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित त्रिसदस्यीय समिति (जिला कृषि पदाधिकारी, परियोजना निदेशक, आत्मा एवं सहायक निदेशक उद्यान) अपने जिलों में शीतगृहों को चिन्हित एवं चयन करने के लिए प्राधिकृत होंगे। इस समिति का दायित्व होगा कि ये अपने जिले के शीतगृहों का निरीक्षण कर वैसे शीतगृहों को चिन्हित करेंगे, जिसके पास Multi Chambered Storage की Facility या जिसके पास वैसा छोटा Chamber उपलब्ध हो, जिसमें वे सिर्फ फलों का ही Storage करते हों तथा उक्त शीतगृह में तापमान मापी एवं Humidity मापी यंत्र अवश्य उपलब्ध हो। यदि ये यंत्र उपलब्ध नहीं हो तो समिति उक्त शीतगृह मालिकों को इसे अनिवार्य रूप से स्थापित कराना सुनिश्चित करेंगे, इसके साथ ही शीतगृह के अहाते में छायायुक्त जगह उपलब्ध रहना भी अनिवार्य होगा, जहाँ पर कृषक द्वारा लाए गए लीची फल को अविलम्ब Manually Preservative से Treat किया जा सके। समिति का दायित्व होगा कि पूर्ण संतुष्टि पश्चात् इस चिन्हित शीतगृहों से ही आवश्यकता आधारित शीतगृहों का चयन कर योजना का सफल संचालन करेंगे।

योजना संचालन का दायित्व :– योजना का क्रियान्वयन संबंधित जिला के सहायक निदेशक उद्यान द्वारा किया जायेगा।इस योजना के संचालन हेतु राज्य स्तर पर कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में बिहार बागवानी विकास सोसाईटी गठित है जिसके सदस्य सचिव मिशन निदेशक होते हैं। इसी प्रकार जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में जिला बागवानी विकास समिति गठित है, जिसके सदस्य सचिव सहायक निदेशक उद्यान नामित हैं। जिला बागवानी विकास समिति के अधीन जिला कृषि पदाधिकारी की अध्यक्षता में एक त्रिसदस्यीय समिति भी गठित है, जिसके सदस्य परियोजना निदेशक, आत्मा एवं सदस्य सचिव सहायक निदेशक उद्यान होते हैं। इस त्रिसदस्यीय उपसमिति को योजना के लिए लाभुक कृषकों एवं FPOs/जीविका/ Enterpenure/Cold Storage के चयन तथा चयनित सूची को अनुमोदित करने का दायित्व होगा। साथ ही अपने क्षेत्र में संचालित किए जा रहे **"लीची सुरक्षा अभियान"** के गहन Monitoring, Random निरीक्षण, प्रशिक्षण एवं प्रचार प्रसार के लिए अधिकृत होंगे।

5. स्वीकृत राशि 9,95,00,320.00 (नौ करोड़ पन्चानवे लाख तीन सौ बीस रूपये) मात्र का समायोजन सर्वप्रथम वर्ष 2011–12 में स्वीकृत रा0कृ0वि0यो0 अन्तर्गत "लीची की उत्तम कृषि क्रियाऐं" की अव्यवहृत राशि 3852179.00 रू0 एवं उद्यान विकास योजना अन्तर्गत वर्ष 2013–14 में स्वीकृत "बागों में अंतरवर्ती फसल योजना" की अव्यवहृत राशि 152035555.00 रू0 में से की जायेगी। अतएव बजट उपबंध की आवश्यकता नहीं है।

6. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की अधिसूचना संख्या 602 दिनांक 20.3.2007 एवं वित्त विभाग के संकल्प संख्या–96 वि0 (2) दिनांक 03.01.08 एवं 2199 दिनांक 24.03.2017 में निहित प्रावधान के आलोक में उक्त योजना के कार्यान्वयन में विभागीय स्थायी वित्त समिति की स्वीकृति दिनांक 22.05.2017 को प्राप्त है। तत्संबंधी स्वीकृति संचिका संख्या– पी0पी0एम0–18/2017 के पृ0सं0– 53/प0 पर प्राप्त है।

7. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या–7355 वि0 (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

8. राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या– पी०पी०एम०–18/2017 के पृ0सं0– 10/टि. पर दिनांक– 08.06.2017 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

12.6.2017

(सुधीर कुमार)
प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– पी०पी०एम०–18/2017 2406 /कृ0, पटना दिनांक 12/6/, 2017

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, अंकेक्षण, महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12.6.2017

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– पी०पी०एम०–18/2017 2406 /कृ0, पटना दिनांक 12/6/, 2017

प्रतिलिपि : योजना एवं विकास विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12.6.2017

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– पी०पी०एम०–18/2017 2406 /कृ0, पटना दिनांक 12/6/, 2017

प्रतिलिपि : संबंधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12.6.2017

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– पी०पी०एम०–18/2017 2406 /कृ0, पटना दिनांक 12/6/, 2017

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, कृषि के आप्त सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त के/प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव, कृषि विभाग के आप्त सचिव/निदेशक, उद्यान, बिहार, पटना/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, पी०पी०एम०, कृषि विभाग, बिहार, पटना/संयुक्त कृषि निदेशक (अभियंत्रण), बिहार, पटना/कृषि निदेशालय, बिहार, पटना के सभी संबंधित पदाधिकारीगण/सभी जिला पदाधिकारी/सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य)/सभी जिला नोडल पदाधिकारी/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/बजट एवं योजना शाखा (सचिवालय एवं कृषि निदेशालय) कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित तथा उप निदेशक (शष्य) सूचना, बिहार, पटना/आई०टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों के ई–मेल पर भेजने हेतु प्रेषित।

12.6.2017

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

E:\ABHINAV\2017-18\Lichi Suraksha Abhiyan\sanlekh.docx